न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :– 104/2025

GCMS NO. 2025/217

सुरेश पुत्र गोरूराम निवासी खोल की ढाणी श्यामपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

..................वादी

– बनाम –

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

.... प्रतिवादीगण

वाद – घोषणात्मक नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं
धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकीलवादी – श्री रोशन लाल

–: निर्णय :– दिनांक :– 23/12/25

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम बांकोटी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता सं. 26 के ख.नं. 242 रकबा 0.6800 हैक्टेयर व खाता संख्या 156 के ख.नं. 245 रकबा 2.2700 हैक्टेयर का वादी संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी का सही नाम सुरेश पुत्र गोरूराम है जो वादी के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में दर्ज है। लेकिन उक्त वर्णित भूमि मे वादी का नाम सुरेशकुमार पुत्र गोरू दर्ज कर दिया इस प्रकार वादी का नाम गलत दर्ज कर दिया जबकि सही नाम सुरेश पुत्र गोरूराम है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है राजस्व रिकार्ड में तथा अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम अलग अलग दर्ज होने से वादी को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे व भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में परेशानी होती है। इसलिये वादी को अपना नाम दुरूस्ती बाबत यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बांकोटी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता सं. 26 के ख.नं. 242 रकबा 0.6800 हैक्टेयर व खाता संख्या 156 के ख.नं. 245 रकबा 2.2700 हैक्टेयर में दर्ज वादी का नाम सुरेशकुमार पुत्र गोरू हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी का नाम सुरेश पुत्र गोरूराम घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी तहसीलदार खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1431 दिनांक 11.06.

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

2025 से से बिन्दुवार जांच रिपोर्ट मय पटवारी हल्का नंगली सलेदीसिंह की मूल रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता पासबुक की प्रतिलिपि, नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता सं. नया 26 व 156 ग्राम बांकोटी, ग्राम पंचायत नंगलीसलेदीसिंह का प्रमाण–पत्र पेश की गई तथा साक्ष्य में शपथ पत्र सुरेश पुत्र गोरूराम (पी.डब्लू–1) व चिरंजीलाल पुत्र फुलचन्द (पी.डब्लू–2) भी पेश किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार खेतड़ी व पटवार हल्का नंगली सलेदीसिंह की जांच रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार खेतड़ी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1431 दिनांक 11.06.2025 की जांच रिपोर्ट व पटवारी हल्का नंगली सलेदीसिंह की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बांकोटी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता सं. 26 व 156 में वादी सुरेशकुमार पुत्र गोरू का नाम सुरेश पुत्र गोरूराम किये जानी की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादी स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बांकोटी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 26 व 156 में वादी को वर्तमान में दर्ज नाम **सुरेशकुमार पुत्र गोरू** के स्थान पर **सुरेश पुत्र गोरूराम** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातें में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं